E-MAIL/FAX

गोपनीय

संख्या-111/1/2/2007-सीएक्स-6

प्रेषक,

श्री अरविन्द कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गोपन अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 2017

विषयः- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रकरणों की सुनवाई में उ0प्र0 सलाहाकार बोर्ड, लखनऊ के समक्ष वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-111/1/2/80-सी0एक्स06, दिनांक 10 मई 2001 का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त शसनादेश में उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड, लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रकरणों की सुनवाई के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के व्यापक निर्देश दिये गये थें । कालान्तर में रासुका प्रकरणों की उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर अपने प्रतिनिधियों को सलाहकार बोर्ड की बैठक में भेजा जा रहा है जबकि शासन स्तर से बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने सम्बन्धी प्रेषित पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहता है कि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं बोर्ड की कार्यवाही में भाग लें । मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड ने जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस प्रमुख के द्वारा स्वयं कार्यवाही में प्रतिभाग न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया गया है ।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रकरणों में उ0 प्र0 सलाहकार बोर्ड, लखनऊ के समक्ष तिथि/समय पर जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे । यदि किसी अपरिहार्य कारण से उनका उपस्थित होना सम्भव नही हो पा रहा हो तो वह इस सम्बन्ध में अपरिहार्य परिस्थितियों से सुस्पष्ट तौर पर

उल्लिखित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को नियत तिथि से कम से कम 03 दिवस पूर्व अवगत कराना सुनिश्चित करेगें जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि उनको स्वयं उपस्थित होने/अवमुक्त किये जाने के पर्याप्त आधार है कि नही । 'अपरिहार्य कारणों से' लिख देना मात्र पर्याप्त नहीं होगा । बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के कोई भी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ को मा0 सलाहकार बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित नही करेगे । इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये तथा इसके विचलन को गम्भीरता से लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-111/1/2/2007-सी0एक्स0-6(1) तद्दिनांक

1- प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सलाहकार बोर्ड, लखनऊ के उनके पत्र संख्या-126/2017 दिनांक 18-08-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्थ), उ0प्र0 ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।